उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-20/2016-17

मोती ठाकुर

वनाम

कार्तिक सिंह वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक	
6-04	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता मोती ठाकुर, पे0–स्व0 दुखी ठाकुर, सा0–वनखन्जुवा, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। वाद का सारांश यह कि अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मौजा–सिमराकोला के जमाबंदी सं0–21 का लगान की राशि लेकर मालगुजारी रसीद निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के निर्देश देने के लिए अनुरोध किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डाने राजस्व विविध वाद सं0–21/13–14 आदेश दिनांक–19.07.16 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के राजस्व विविध वाद सं0–21/2013–14 आदेश दिनांक–19.07.2016 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सिमराकोला के जमाबंदी सं0–21 के जमाबंदी रैयत के नावल्द फौत कर जाने के कारण उक्त जमीन को फौती घोषित कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के वाद सं0–86/50–51 के द्वारा बंदोवस्त किया गया। फौती घोषित करने के पश्चात् मौजा के प्रधान के द्वारा दुखी ओस्ता के नाम से बंदोवस्ती पट्टा निर्गत किया गया एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–19/02–03 आदेश दिनांक–15.11.2002 के द्वारा बंदोवस्ती पट्टा को सम्पुष्ट किया गया। बंदोवस्ती के बाद दुखी ओस्ता एवं उसके बाद आवेदक उस जमीन का लगान रसीद कटाते आ रहें थे। लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिना कारण बताये ही मालगुजारी रसीद निर्गत करना बंद कर दिया है। आवेदक ने बंदोवस्तदार रैयत दुखी ओस्ता के वैध उत्तराधिकारी होने के हैसियत से मालगुजारी निर्गत करने हेतु निदेश देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी,

गोड्डा के न्यायालय में वाद दायर किया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आवेदक के द्वारा दाखिल कागजातों पर सही तरीके से विचार किये बिना ही आवेदक के आवेदन को खारिज किया है। अपीलकर्ता ने विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-सिमराकोला नं0-100 जमाबंदी सं0-21 कुल रकबा 19-15 ए0 भूमि खतियान रामलाल सिंह, पे0-पारस सिंह के नाम से एवं सर्वे सेटलमेंट खतियान में दर्ज है। वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :-

- पारस सिंह
  - रामलाल सिंह
    - कौशल्या देवी पति हीरालाल सिंह
      - कार्तिक सिंह (उत्तरवादी)
      - मुनिया देवी
  - भगवती सिंह(मृत)
    - बुधु सिंह (लावल्द मृत)
    - सुरेश सिंह (लावल्द मृत)
    - महेश सिंह (लावल्द मृत)

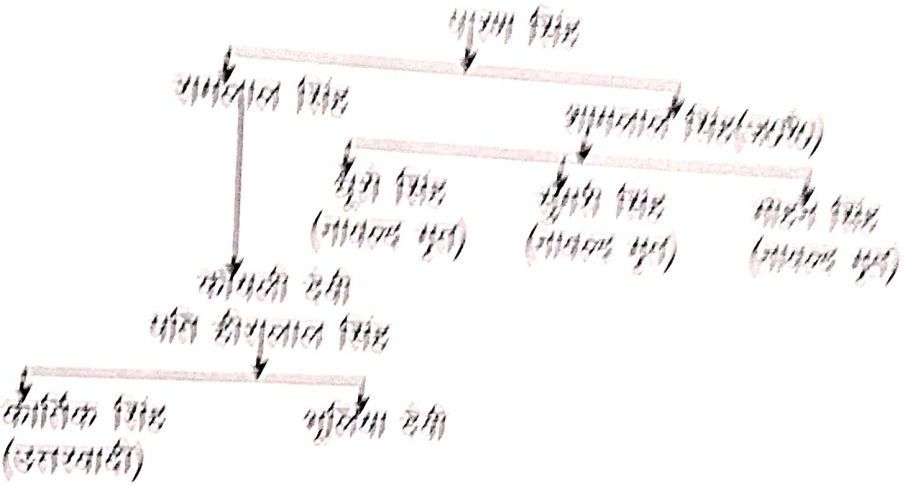

उनका आगे कथन है कि हाल सर्वे के दौरान अपीलकर्ता ने धोखाधड़ी करके अपने को सत जमाबंदी रैयत का वंशज बताते हुए सर्वे में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास किया था। जबकि अपीलकर्ता नाई जाति के है एवं जमाबंदी रैयत के वंशज उत्तरवादी सं0-1 घटवाल जाति के है। अपीलकर्ता ने तसदीक सर्वे में उक्त जमाबंदी सं0-21 को फौती दिखाते हुए जाली कागजात के आधार पर अपना नाम भी दर्ज करा लिया था। उत्तरवादी सं0-1 ने उक्त आदेश के विरुद्ध विद्वान बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में तनाजा अपील वाद दायर किया। विद्वान बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका ने उक्त तनाजा वाद को बंदोबस्त पदाधिकारी-III, संथाल परगना दुमका के न्यायालय में हस्तान्तरित कर दिया गया। बंदोबस्त पदाधिकारी-III, दुमका ने तनाजा अपील नं0-01/2012 में आदेश दिनांक-13.02.2012 के द्वारा तसदीक शिविर के आदेश को निरस्त किया एवं अपीलकर्ता मोती ठाकुर के नाम को हटाते हुए उत्तरवादी कार्तिक सिंह का नाम दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया है। उनका आगे कथन है कि बंदोबस्त पदाधिकारी-III, दुमका के आदेश के

बाद भी अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी सं0–21 को फौती दिखाते हुए जाली कागजात के आधार पर लगान रसीद निर्गत करने के लिए रा0वि0 वाद सं0–21/13–14 दायर किया गया। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को नियम संगत तरीके से खारिज किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–650/रा0 दिनांक–13.11.2019 एवं सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, मुख्यालय–सह–संवाद, दुमका के पत्रांक–49–I/बंदोवस्त दिनांक–17.03.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–सिमराकोला थाना नं0–100 जमाबंदी नं0–21 जमाबंदी रैयत श्यामलाल सिंह, पे0–परान सिंह कौम घटवाल शा0 देह कहकर खतियान में दर्ज पाया। अपीलकर्त्ता का कहना है कि जमाबंदी रैयत श्यामलाल सिंह नावल्द फौत कर गये। फौत के बाद उक्त जमीन का पट्टा सादे कागज में मिला है। उत्तरवादी का कहना है कि जमाबंदी रैयत श्यामलाल सिंह का भाई रामलाल सिंह था। जिसका नाम किसी कारण वश गेंजर पर्चा में दर्ज नही हो सका। इस संबंध में ग्राम सभा करायी गयी एवं वंशवृक्ष इस प्रकार बतलाया गया, जो निम्न प्रकार है :–

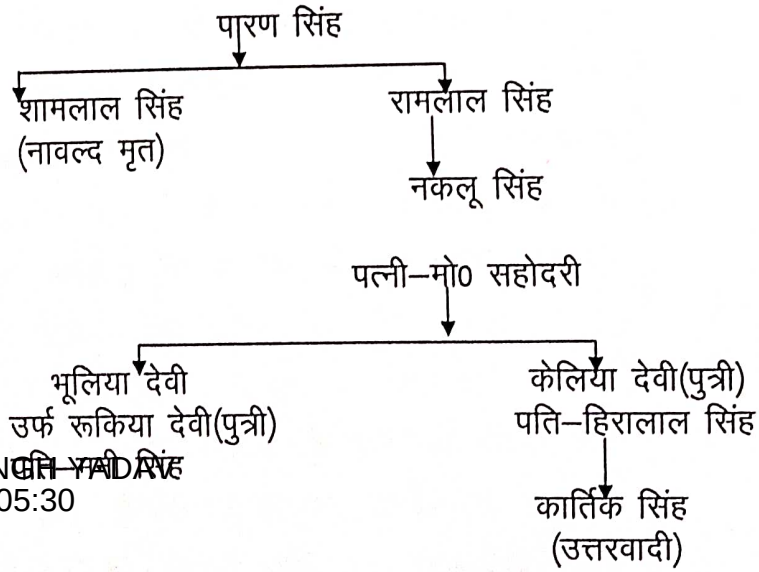

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:52:14 +05:30
Location: 192.168.29.32

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कार्तिक सिंह जमाबंदी रैयत श्यामलाल सिंह का भाई रामलाल सिंह का नाती है।